मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय
कार्यालयः टैगोर छात्रावास क्रमाँक टी–2, श्यामला हिल, भोपाल–462002
दूरभाष एवं फैक्सः0755–2660461, email:afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org

क्रमांक/सचि./ओएसडी/2019/3793 दिनांक – 28/11/2019

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/अधिष्ठाता,
Sakshi Medical College & Research Centre,
Somya Premises, A.B. Myana, AH-47,
Guna (M.P.)
Email-sakshimedicalcollege@gmail.com

विषयः–सत्र 2016–17 में साक्षी मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, गुना में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थियों के शुल्क वापसी के संबंध में।
संदर्भ–इस सचिवालय का पत्र क्रमांक/सचि./ओएसडी/2019/3705 दिनांक 14.11.2019.

***

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आपकी संस्था (साक्षी मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, गुना) में सत्र 2016–17 में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों द्वारा शुल्क वापसी के संबंध में प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति को प्रस्तुत शिकायती आवेदन पत्र एवं माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं पर दिनांक 23.09.19, 24.09.19 एवं 26.09.19 के पारित निर्णय को प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, भोपाल की **दिनांक 23.11.2019, दिन–शनिवार, समय–10.00 बजे प्रातः** समिति के समक्ष अपना पक्ष/सुनवाई हेतु उपस्थित होने के निर्देश दिये गये थे। निर्धारित तिथि पर आप समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुये।

अतः आपको एक अवसर और प्रदान किया जाकर प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति की आयोजित होने वाली आगामी बैठक **दिनांक 05.12.2019, दिन–गुरूवार, समय–10.00 बजे प्रातः, कार्यालय प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति/सचिवालय, टैगोर हॉस्टल क्रमांक–2, श्यामला हिल्स, भोपाल** के समक्ष अपना पक्ष /सुनवाई हेतु उपस्थित होने के निर्देश समिति द्वारा दिये गये हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त तिथि एवं समय पर **प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति/सचिवालय, टैगोर हॉस्टल क्रमांक–2, श्यामला हिल्स, भोपाल** में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। बिना समुचित कारण के उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित न होने की स्थिति में समिति एकतरफा निर्णय लिये जाने हेतु स्वतंत्र रहेगी।

(डॉ. आलोक चौबे)
सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

पृ. क्रमांक/सचि./ओएसडी/2019/ दिनांक–
प्रतिलिपि–माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ. आलोक चौबे)
सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी